the Committee on Balance of Payments Restrictions in January, 1997, India has been holding bilateral consultations with its major trading partners and WTO Members. Inter Ministerial discussions are also being held to finalise India's plan which will be considered in the WTO Committee in June, 1997.

During the discussions held with the European Commission on 20-21 March, 1997 at New Delhi the European Commission maintained that in view of improvement in the balance of payments situation in India there was no justification for continued recourse to the balance of payments cover under Article XVIII,: B of the General Agreement on Tariffs and Trade and that India should announce a comprehensive phase out plan for removal of residual quantitative restrictions maintained on imports for balance of payment purposes.

The foreign currency reserves of India were USD 22.4 billion on 2 May, 1997. Projections of foreign exchange reserves are not maintained.

A meeting of the Indo-EU Joint Commission is scheduled to be held in New Delhi on 12-13 May, 1997 at which issues such as quantitative restrictions maintained for balance of paymets purposes are also likely to be discussed.

विदेशों के साथ व्यापार समझौते

3237. **श्री अजीत जोगी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996-97 के दौरान सरकार ने विदेशों के साथ कितने व्यापार समझौते किए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समझौतों से भारतीय वस्तुओं के निर्यात में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) महोदय, वर्ष 1996-97 के दौरान सरकार ने दूसरे देशों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए 4 व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। वे देश हैं: इथोपिया, वियतनाम, त्रिनिदाद तथा टोबागों और बलगारिया।

(ग) भारतीय वस्तुओं का निर्यात विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है। जैसे भारतीय निर्यातकों तथा विदेशी आयातकों के बीच व्यापार सम्पर्क स्थापित करना तथा बातचीत करना और वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता और व्यापार करार के साथ-साथ सरकार की नीति। अतः व्यापार करार के फलस्वरूप निर्यात में वृद्धि का अनुमान लगाना कठिन है।

Ban on Import of Plastic Wastes

3238. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have banned import of used plastic in the form of waste or scrap;

(b) if so, the details of norms governing import of plastic wastes tightened by Government;

(c) whether the import of waste or scrap is causing concern for the environment; and

(d) if so, to what extent the norms to tighten import of plastic wastes is going to curb the import of wastes?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BALLA BULI RAMAIAH): (a) and (b) Under the current Export and Import Policy, the import of used plastic in the form of waste or scrap is not permitted. However, import of such plastic scrap/ waste which constitute those fractions of plastic generated by various plastic processing operations or those fractions generated in the production process of plastic in plant, which have not been put to any use whatsoever and as such can be termed as virgin or new material which can be recycled into viable commercial products using standard plastic processing techniques but without involving any process of cleaning, whereby effluents are generated, is permitted against import licence as per the guidelines/norms as

given in Public Notice No. 392 (PN)/92-97 dated the 1st January, 1997 a copy of which is available in the parliament library.

(c) and (d) Since the import of plastic waste/scrap is restricted, there does not appear to be any cause of concern from the environment angle.

राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) द्वारा सोयाबीन क्रूड आयल की बिक्री

3239. **श्री गोविन्दराम मिरी:**
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के मुम्बई कार्यालय द्वारा सोयाबीन क्रूड आयल की बहुत कम दामों पर बिक्री दर देने से निगम को काफी नुकसान उठाना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अफसरों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार इस घपले के लिए सी०बी०आई० से जांच कराएगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न व्यापार क्षेत्रों में हुए निर्यात का मूल्य

3240. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल 1996 से लेकर आज की तारीख तक व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों से कितने मूल्य का निर्यात हुआ; और

(ख) देश के निर्यात को बढ़ाने और भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के संबंध में सरकार कौन-कौन से प्रभावी कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी०जी०सी०आई० एंड एस०) से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मुख्य जिन्स ग्रुपों द्वारा अप्रैल 1996 से जनवरी 1997 तक भारत का निर्यात निम्नानुसार रहा:—

(मूल्य मिल्यिन अमरीकी डालर में)
अप्रैल 96-जून 97)

(1) बागान	555.58
(2) कृषि उत्पाद	3724.08
(3) समुद्री उत्पाद	949.55
(4) अयस्क और खनिज	931.12
(5) चर्म और उत्पाद	1333.32
(6) रत्न-आभूषण	3838:33
(7) खेल का सामान	67.41
(8) रसायन और सम्बद्ध उत्पाद	3334.23
(9) इंजीनियरी सामान	3158.56
(10) इलैक्ट्रिक सामान	715.11
(11) परियोजना सामान	42.19
(12) वस्त्र	6499.19
(13) हस्तशिल्प	395.66
(14) गलीचे	486.39
(15) अपशिष्ट सहित काटन	345.73
(16) पैट्रोलियम उत्पाद	400.60
(17) अवर्गीकृत	287.90
कुल योग	27065.26

(ख) भुगतान संतुलन के चालू खाते में व्यापार घाटा निर्यात की तुलना में आयात अधिक किए गए हैं चूंकि आयात अर्थव्यवस्था की उभरती हुई आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। इसलिए व्यापार घाटा कम करने का उपाय है निर्यात को बढ़ाना। निर्यात संवर्धन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और नीतियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करके, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा कर, निर्यात संबंधी आधारभूत सुविधाओं की अड़चनें दूर करके सरकार द्वारा समय-समय पर उपाय किए जाते हैं। बर्धित निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार और उद्योग तथा निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों के साथ परामर्श भी किए जाते हैं। हाल ही में घोषित नई एक्जिम नीति के माध्यम से प्रक्रिया संबंधी पर्याप्त सरलीकरण सहित निर्यात नीति ढ़ांचे को अधिक निर्यात अनुकूल बनाया गया है।